

32
न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति निधि उडसरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 18/2026

1. मुजीबुर रहमान पुत्र बरकत जाति लौहार निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

1. हाकमदीन पुत्र बरकत जाति लौहार निवासी जोगीवाला तहसील भादरा। - अप्रार्थी

दरखास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग- प्रार्थी

वकील श्री धर्मपाल बैरवाल- अप्रार्थी

दिनांक : 21.05.26

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 159/116 के मु०नं० 70, 71, 82, के कुल खसरे 25 की 4.794 है० (नहरी 4.729 है० व गैर मु० रास्ता 0.065 है०) व जोगीवाला बाराणी के खाता संख्या 158/73 के मु०नं० 3, 8 के कुल खसरे 35 की कुल 6.972 है० (बाराणी 6.9070 है० व गैर मु० रास्ता 0.065 है०) कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाता की भूमि है।

उक्त वर्णित वादभूमि में प्रार्थी का खाता संख्या 159/116 में 32/2397+ 281/23970 व अप्रार्थी सं० 1 हाकमदी का 32/2397 हिस्सा का जोगीवाला बाराणी के खाता संख्या 158/73 में प्रार्थी का 437/17430 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 हाकमदीन का 31/2324 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 के मध्य काश्त व लगान की बाबत आपस में तनाजा रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं० 1 बिना खाता विभाजन करवाये कृषि भूमि को रहन, बैय, मुंतकिल करने पर तुले हुए है। वादग्रस्त कृषि भूमि भादरा से हिसार रोड पर स्थित है। सायल को उसके हक हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करने से वंचित करने पर आमामदा है और गैरसायल ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहा है कि मैं अच्छी किस्म की भूमि सड़क के पास पास किमती भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बैचान कर दुगा। यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं० 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के रहन, बैय व मुंतकिल ना करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं० 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि का कार्फी वर्षों पहले अच्छी व मंदी के हिसाब से वाहमी बंटवारा हो गया था जिसमें पक्षकारान के अलग अलग खेत बने हुए है तथा उनकी अलग अलग सींव डोल भी बनी हुई है। प्रार्थी वादभूमि का अब किसी भी प्रकार से अच्छी मंदी के हिस्सा से जोत विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी को अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने के पूर्ण अधिकार है। कानूनन सहखातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करवाने के किसी भी प्रकार का अधिकारी नहीं है। अतः जबाब दरखास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्य खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 159/116 के मु०नं० 70, 71, 82, के कुल खसरे 25 की 4.794 है० (नहरी 4.729 है० व गैर मु० रास्ता 0.065 है०) व जोगीवाला बाराणी के खाता संख्या 158/73 के मु०नं० 3, 8 के कुल खसरे 35 की कुल 6.972 है० (बाराणी 6.9070 है० व गैर मु० रास्ता 0.065 है०) कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाता की भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 के मध्य काश्त व लगान की बाबत आपस में तनाजा रहता है।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक भादरा

इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं० 1 बिना खाता विभाजन करवाये कृषि भूमि को रहन, बैय, मुंतकिल करने पर तुले हुए है। वादग्रस्त कृषि भूमि भादरा से हिसार रोड पर स्थित है। सायल को उसके हक हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करने से वंचित करने पर आमादा है और गैरसायल ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहा है कि मैं अच्छी किस्म की भूमि सड़क के पास पास किमती भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बैचान कर दुगा। यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं० 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है। वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि वादभूमि का काफी अर्सा पूर्व में अच्छी व मंदी के हिसाब से वाहमी बंटवारा हो गया था जिसमें पक्षकारान के अलग अलग खेत बने हुये है तथा उनकी अलग अलग सीव व डोल भी बनी हुई है। प्रार्थी वादभूमि का अब किसी प्रकार से अच्छी व मंदी के हिसाब से जोत विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी हाकमदीन पुत्र बरकत के विरुद्ध पेश किया है जबकि कानूनन अर्जीदावा में जो पक्षकार प्रतिवादी बनाये गये है उन सभी को प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार बनाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिजी है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि संयुक्त खाता की भूमि पर सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, ऐसी स्थिति में सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे। इस हेतु वकील अप्रार्थी ने 2013 डीएनजे किरन आदि बनाम अजय कुमार आदी पेज नं० 195 पेश व भागसिंह थु एलआरएस बनाम रामपत थु एलआरएस आदि 2013 डीएनजे आदि की नजीरे पेश की

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। इस प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 प्रथम दृष्टया मामला:-प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वाद भूमि का सह खातेदार है तथा उक्त वादभूमि में प्रत्येक किला, मुरब्बा में काश्त करता है। प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी का भी उतना ही हिस्सा वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अप्रार्थी को अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने के पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार उक्त वादभूमि में अप्रार्थी हाकमदीन पुत्र बरकत अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार है अप्रार्थी को अपने हिस्सानुसार अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने में प्रार्थी को कोई दुविधा प्रकट नहीं होती है। चूंकि अप्रार्थी के साथ साथ अन्य सहखातेदार काश्तकार भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिन्हे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पक्षकार नहीं बनाया गया। जिससे प्रतीत होता है प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर महज अप्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग करने से वंचित करने के आशय से आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खिलाफ व अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2 सुविधा का संतुलन:- अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण

अधिकार हासिल है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी घोषणा के दावा के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी ने अपने दावा व दरखास्त में किसी भी प्रकार का कोई घोषणात्मक अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिससे प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3 अपूर्णय क्षति:- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। चूंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णय क्षति हो सकती है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, क्योंकि संयुक्त भूमि पर सभी सह खातेदारों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में सह खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है अप्रार्थी रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार है व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया साबित नहीं पाया जाता है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के दूसरे व तीसरे बिन्दु सुविधा का संतुलन व अपूर्णय क्षति का प्रथम दृष्टया साबित नहीं होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Dini
(निधि उड़सरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़